Indian Limitation Act

1.इसमें कुल 5 भाग हैं।

2.इसमें कुल 32 धाराएं हैं।

3.इसमें एक अनुसूची है।

4.अनुसूची में वाद, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा काल विहित किया गया है।

5.यह 1963 का अधिनियम संख्यांक (36) है।

6.इसका मुख्य उद्देश्य वादों एवं अन्य कार्यवाहियों की परिसीमा और सम्बन्धित प्रयोजनों से सम्बन्धित विधि का समेकन एवं संशोधन करना है।

7.यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा गणराज्य के चौदहवें वर्ष में अधिनियमित किया गया ।

Lawspark Institute

8.यह 5 अक्टूबर, 1963 को लागू किया गया।

धारा 1 के अनुसार :-

(A) इसका संक्षिप्त नाम, परिसीमा अधिनियम, 1963 है।

(B) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर है।

(C) इसको प्रवृत्त करने की तिथि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

10. धारा 2 निर्वचन खण्ड से सम्बन्धित है।

11. धारा 2 में कुल 14 शब्दों को परिभाषित किया गया है ।

12. धारा 2 (क) आवेदक को परिभाषित किया करती है।

13. आवेदक में निम्नांकित व्यक्ति शामिल हैं1

(A) अर्जीदार;

Lawspark Institute

(B) वह व्यक्ति, जिससे या जिसके माध्यम से आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है;

(C) वह व्यक्ति जिसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है।

14. धारा 2 (ख) के अनुसार आवेदन में याचिका आती है।

15. धारा 2 (ग) के अनुसार विनिमय-पत्र के अंतर्गत हुण्डी और चैक आते हैं।

16. धारा 2 (घ) के अनुसार बंधपत्र (bond) के अन्तर्गत ऐसी लिखत आती है, जिसके द्वारा कोई के व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए जैसी भी स्थिति हो तो वह बाध्यता शून्य होती है।

17.वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, प्रतिवादी के अंतर्गत आता है।

Lawspark Institute

18. वह व्यक्ति भी प्रतिवादी के अन्तर्गत आयेगा, जिसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।

19. सुखाचार हक उत्पन्न करता है।

20. सुखाचार में संविदा से उद्भूत होने वाला अधिकार / हक नहीं आता है।

21. सुखाचार के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा को, किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या संलग्न या उस पर अस्तित्ववान् किसी चीज को हटाने या अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है।

22.सुखाचार को धारा 2 (च) में परिभाषित किया गया है। 'विदेश' में भारत से भिन्न कोई देश आता है।

23. कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई नहीं समझी जाती जबकि वह सम्यक् सतर्कता और ध्यान से नहीं की जाती है।

Lawspark Institute

24. वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अधिकार व्युत्पन्न करता है, वादी के अंतर्गत आता है।

25. वह व्यक्ति जिसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जा रहा हो वह भी वादी के अंतर्गत आयेगा ।

26. परिसीमा काल को धारा 2 (ञ) में परिभाषित किया गया है।

27. परिसीमा काल से वह काल अभिप्रेत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित किया गया है।

28. विहित काल को भी धारा 2 (ञ) में परिभाषित किया गया है।

29. विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो ।

30. वचनपत्र (Promissory note) को धारा 2 (ट) में परिभाषित किया गया है ।

31. वचनपत्र एक आत्यान्तिक (absolute) वचनबद्ध होता है।

Lawspark Institute

32. वचनपत्र का रचियता किसी अन्य की धनराशि विनिर्दिष्ट समयपर या मांग की जाने पर या दर्शन(sight) पर देने का वचन देता है।

33. अपील या आवेदन, 'वाद' के अन्तर्गत शामिल नहीं होते हैं |

34. धारा 2 (ङ) अपकृत्य को परिभाषित करती है ।

35. 'अपकृत्य' एक ऐसा सिविल दोष है जो केवल संविदा भंग या न्यासभंग न हो।

36. न्यासी के अंतर्गत निम्नांकित शामिल नहीं हैं -

(A) बेनामीदार;

(B) बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात् कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार;

(C) हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति ।

Lawspark Institute

37. जे. कुमारदासन नायर बनाम आई. आर. आई. सी. सोहन (2009) के मामले में अवधारित किया गया कि पुनरीक्षण आवेदन वाद में शामिल नहीं है।

38. भाग 2 वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा के संबंध में प्रावधान करता है।

39 धारा 3 (i) के अनुसार विहित काल के पश्चात् संस्थित वाद, अपील या आवेदन खारिज कर दिया जायेगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात न उठायी गयी हो।

40. धारा 3 (2) (क) (i) के अनुसार :-

(A) वाद की संस्थिति तब मानी जायेगी जब वादपत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है।

(B) अकिंचन के वाद की संस्थिति तब होती है जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है।

(C) जिस कम्पनी का परिसमापन न्यायालय के द्वारा किया जा रहा हो, उस कम्पनी के विरुद्ध दावे की दशा में वाद की संस्थिति तब मानी

Lawspark Institute

जायेगी, जबकि दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है।

41. मुजरा या प्रतिदावे के तौर पर दावा एक पृथक वाद माना जाएगा।

42. मुजरे की दशा में वाद/दावा तब संस्थित किया माना जाता है, जबकि वह वाद संस्थित किया गया हो जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया हो ।

43. प्रतिदावे की दशा में न्यायालय में प्रतिदावा किये जाने पर वाद संस्थित माना जायेगा।

44. उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष संस्थित किया जाता है।

45. धारा 4 में उपबंधित है कि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता, जिस दिन न्यायालय बंद हो तो वाद, अपील या आवेदन उस दिन संस्थित किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर खुले ।

Lawspark Institute

46. इस धारा के अधीन न्यायालय उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद रहे।

47. धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण के संबंध में प्रावधान करती है। 49. कोई भी अपील या आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अधीन हो, पर धारा 5 लागू नहीं होगी।

48. धारा 5 के अधीन विहित काल का विस्तारण तब ही होगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दें कि उनके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने का पर्याप्त हेतुक था ।

49. स्पष्टीकरण के अनुसार अपीलार्थी या आवेदन विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अधीन पर्याप्त हेतुक हो सकेगा।

50. आर. बी. रामलिंगम बनाम आर. बी. भुवनेश्वर (2009) के वाद में अवधारित किया गया है कि पर्याप्त कारण का परीक्षण शुद्धतः व्यक्तिवादी परीक्षण है, वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं है। कोई दो वाद एक समान नहीं माने जा सकते हैं।

Lawspark Institute

51. धारा 6 में विधिक निर्योग्यता के संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

52. जिस व्यक्ति को वाद संस्थित करने का हक है या वह किसी डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन करने का अधिकारी हो और विहित काल की गणना करते समय अप्रासवय या पागल या जड़ हो वहां निर्योग्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात हो ।

53. यदि व्यक्ति दो निर्योग्यता से ग्रस्त है या एक निर्योग्यता के खत्म होने से पहले दूसरी निर्योग्यता से हो जायें वहां दोनों निर्योग्यताओं के अंत होने के पश्चात् वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे निर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है।

54. यदि निर्योग्यता मृत्यु तक बनी रहे तो उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात् उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात हो। यदि विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु की तारीख के समय निर्योग्यता से ग्रस्त हो तो निर्योग्यता समाप्त होने पर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा।

Lawspark Institute

55. निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति ऐसी निर्योग्यता का अन्त होने पर उस विहितकाल में मर जाये जिसमें वह वाद संस्थित या आवेदन कर सकता था तो उसका विधिक प्रतिनिधि उस अवधि में वाद संस्थित या आवंटन कर सकेगा, जिस अवधि में वह व्यक्ति कर सकता था, यदि उसकी मृत्यु नहीं होती।

56. इस धारा के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु आता है।

57. अजबसिंह बनाम अन्तराम (2009) के वाद में अवधारित किया गया है कि धारा 6 एक अवयस्क को उसकी यह निर्योग्यता समाप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो अवयस्क नहीं है को प्रावधानिक समय के भीतर वादपत्र दाखिल करने या आवेदन दे करके कार्यवाही संस्थित करने के लिए समर्थकारी प्रावधान बनाती है।

58.. धारा 7 में कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है।

59. यदि वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्तः हकदार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसी किसी निर्योग्यता के अधीन हो तो -

Lawspark Institute

(A) उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो, वहां उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरम्भ हो जाएगा।

(B) जहां ऐसा उन्मोचन नहीं दिया जा सकता हो, वहां उनमें से किसी के विरुद्ध तब तक समय का चलना आरम्भ न होगा जब तक उनमें से कोई एक अन्य की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ न हो जाए या उस निर्योग्यता का अन्त न हो जाए।

60. स्थावर सम्पत्ति के दायित्व सहित हर प्रकार के दायित्व के उन्मोचन पर यह धारा लागू होती है। 63. मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्त्ता यदि कुटुम्ब की सम्पदा का प्रबंध करता हो तो अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ समझा जायेगा, अन्यथा नहीं ।

61. धारा 8 में विशेष अपवाद दिया गया है कि-

(A) धारा 6 एवं 7 की कोई बात शुफा अधिकारों को परिवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होगी। (B) न ही किसी वाद अथवा आवेदन के परिसीमा काल को निर्योग्यता के अन्त से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से तीन

Lawspark Institute

वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। -

65. धारा 9 समय के निरन्तर चलने के संबंध में प्रावधान करती है।

66. सामान्यतः एक बार समय का चलना प्रारम्भ हो जाए वहां वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक-निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता।

67. लेनदार की सम्पदा का प्रशासन-पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो वहां ऐसे ऋण कोका वाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलम्बित रहेगा जब तक प्रशासन चलता रहे।

68. न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद के संबंध में प्रावधान करती है।

69. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नांकित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई वाद कितना भी समय बीत जाने के कारण वर्जित न होगा --

(A) जिसमें कोई सम्पत्ति किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सम्मिलित की गई हो,

Lawspark Institute

अथवा

(B) उसके विधिक प्रतिनिधियों या समनुदेशितियों के विरुद्ध

उसके या उनके हस्तगत ऐसी सम्पत्ति या उसके आगमों का पीछा करने के प्रयोजन से या उस सम्पत्ति या उसके आगमों के लेखा के लिए।

70. यह धारा मूल्यवान प्रतिफलार्थ समनुदेशिती पर लागू नहीं होगी।

71. इस धारा के प्रयोजन के लिए हिन्दू, मुसलमान या बौद्ध धार्मिक या खैराती विन्यास में समाविष्ट कोई भी सम्पत्ति एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास-विहित समझी जायेगी और सम्पत्ति का प्रबन्धक उसका न्यासी समझा जायेगा ।

72. धारा 11 के अनुसार

(i) जम्मू-कश्मीर राज्य या विदेश में की गई संविदाओं के आधार पर उन राज्यक्षेत्रों में जहां इस अधिनियम का विस्तार है, संस्थित किए गए वाद, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अध्यधीन होगें।

LawSpark Institute

(ii) जम्मू-कश्मीर राज्य या विदेश में प्रवृत्त परिसीमा विषयक कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई किसी संविदा पर आधारित वाद में केवल निम्न 2 परिस्थितियों में प्रतिरक्षा करेगें, अन्यथा नहीं -

(A) उस नियम में उस संविदा को निर्वापित (extinguished) कर दिया गया हो, और

(B) पक्षकार ऐसे नियम द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य विदेश के अधिवासी थे।

73. धारा 12 में विधिक कार्यवाहियों में समय के अपवर्जन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

74. किसी वाद; अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जायेगा, जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जाती है।

75. किसी अपील के लिए अथवा अपील की इजाज़त या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में निम्न समय अपवर्जित कर दिया जाता है -

Lawspark Institute

(a) जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था।

(b) उस डिक्री , दण्डादेश या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के में लगा समय, जिसकी अपील या जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किया जाता हैं, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(c) किसी डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए वह समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

यदि उसकी-

(A) अपील की जाती है या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किया जाता है या डिक्री अथवा आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है।

(B) किसी पंचाट के अपास्त किये जाने के लिए आवेदन के परिसीमाकाल की संगणना में पंचाट की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा ।

76.किसी डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए वह समय अपवर्जित नही किया जाएगा जो न्यायालय ने उस डिक्री या

Lawspark Institute

आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किये जाने से पूर्व डिक्री या आदेश को तैयार करने में लगाया हो ।

77. अकिंचन के रूप में वाद या अपील के आवेदन को अस्वीकार करने पर धारा 13 के अनुसार वहां उस वाद या अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जितना सद्भावनापूर्वक अनुमति के लिए लगा हो। ऐसे वाद या अपील के लिए विहित फीस न्यायालय में दे दिये जाने पर न्यायालय में उस वाद या अपील का वही बल और प्रभाव रहेगा मानो फीस प्रारम्भ में ही दे दी गई हो।

78. धारा 14 बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही में लगे समय के अपवर्जन के संबंध में प्रावधान करती हैं।

79. किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्यवाही तत्परता के अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जायेगा - बशर्त है कि --

(A) कार्यवाही उसी विवाद्य विषय से सम्बन्धित हो,

Lawspark Institute

(B) कार्यवाही सद्भावनापूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता कीत्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो ।

80. किसी आवेदन के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय, जितने के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के अपील चाहे पुनरीक्षण न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक् तत्परता से अभियोजित करता है, अपवर्जित कर दिया जायेगा बशर्त है कि कार्यवाही सद्भावनापूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो।

81. पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लम्बित रहने वाले समय का अवपर्जन करते समय निम्न दो दिनों की गणना की जाती है -

(A) जिस दिन कार्यवाही संस्थित की गई थी।

(B) जिस दिन कार्यवाही का अन्त हुआ था ।

82. कोई वादी या आवेदक, जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा हो, कार्यवाही का अभियोजन करता हुआ समझा जायेगा।

Lawspark Institute

83. पक्षकारों का कुसंयोजन या बाद हेतुकों के कुसंयोजन को अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतुक समझा जायेगा ।

84. एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाम म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल (2007) में अवधारित किया गया कि बिना अधिकारिता बाले न्यायालय में सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय के अपवर्जन वाली धारा 14 माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन कार्यवाहियों को प्रयोज्यनीय होती हैं।

85. शक्ति ट्यूब लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (2009) में अवधारित किया गया कि धारा 14 के प्रावधानों का उदार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए।

86. शमिका बाई बनाम नकुल (2009) के मामले में कहा गया कि वादी धारा 14 के अधीन सिविल वाद संस्थित करने एवं वादपत्र की वापसी के बीच के समय के अवपर्जन का हकदार होता है।

87. किसी आदेश या व्यादेश के कारण डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन संस्थित या निष्पादित किया जाना रोक दिया गया हो तो

Lawspark Institute

संगणना में धारा 15 (1) के अनुसार निम्नांकित समय का परिसीमा काल का अपवर्जन कर दिया जायेगा -

(A) जितने समय वह आदेश या व्यादेश बना रहा हो,

(B) वह दिन, जिस दिन वह निकाला गया हो

(C) वह दिन, जिस दिन उसका प्रत्याहरण किया गया था ।

87. यदि तत्समय प्रवृत्त किसी में अपेक्षाओं के कारण वाद संस्थित करने के लिए -

(A) सूचना दी गई हो, या

(B) जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी प्राप्त की गयी हो तो इनमें लगे समय को अपवर्जित कर दिया जायेगा। धारा 15 (2) ।

88. सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए लगे अपेक्षित समय का अपवर्जन करते समय-

Lawspark Institute

(A) वह तारीख जिसको सम्मति अथवा मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था, और

(B) वह तारीख जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ था, गिनी जाएगी। 90. किसी व्यक्ति को दिवालिया न्यायनिर्णीत करने की कार्यवाही में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर -

अथवा

किसी कम्पनी के परिसमापक की कार्यवाही के लिए नियुक्त समापक या अनंतिम समापक द्वारा वाद या डिक्री निष्पादनार्थ आवेदन की परिसीमा काल की संगणना में निम्न समय अपवर्जित कर दिया जाएगा - जो ऐसी कार्यवाही को संस्थित करने की तारीख को प्रारम्भ होकर रिसीवर या समापक(यथास्थिति) की नियुक्ति की तारीख से तीन मास के अवसान पर समाप्त होती है। धारा 15 (3)

89. किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय क्रेता यदि कब्जे के लिए वाद संस्थित करता है तो परिसीमा काल की संगणना करते समय यदि उस विक्रय को अपास्त कराने के लिए कोई कार्यवाही की गई हो तो उसमें लगा समय अपवर्जित कर दिया जायेगा । धारा 15 (4)

Lawspark Institute

90. प्रतिवादी भारत या भारत के बाहर केन्द्रीय प्रशासन के अधीन राज्य क्षेत्रों में जितने समय अनुपस्थित रहता है, उतना समय परिसीमा काल की संगणना में अपवर्जित कर दिया जाता है। धारा 15 (5)

91. धारा 16 में वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव क्या होगा, इस संबंध में प्रावधान किया गया है।

92. कोई व्यक्ति अधिकार प्रोद्भूत होने से पहले मर जाये और यदि वह जीवित होता तो उसे वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार होता तो या वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता हो तो वहां परिसीमा काल की संगणना उस समय से कीजायेगी, जब मृतक का ऐसा प्रतिनिधि हो जाए जो ऐसा वाद संस्थित करने या आवेदन करने में समर्थ हो जाए।

93. जहां कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत हुआ होता, उस अधिकार के प्रोद्भूत होने से पहले मर जाए या जहां कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार उसकी मृत्यु पर प्रोद्भूत होता हो वहां परिसीमाकाल की संगणना उस समय से की

Lawspark Institute

जायेगी जब मृतक का ऐसा प्रतिनिधि हो जाए जिसके विरुद्ध ऐसा वाद संस्थित किया जा सके या आवेदन किया जा सके।

94. धारा 16 के प्रावधान निम्नांकित पर लागू नहीं होगें -

(A) शुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों पर ।

(B) किसी स्थावर सम्पत्ति के कब्जे के वाद पर ।

(C) आनुवंशिक पद के कब्जे के वाद पर ।

95. धारा 17 कपट या भूल के प्रभाव से सम्बन्धित है

96. जहां कि ऐसा वाद या आवेदन जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा परिसीमा काल विहित है

(A) प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है, अथवा

(B) इन्होंने जिस अधिकार या हक के ज्ञान पर वह वाद या आवेदन आधारित है, कपट द्वारा उसे छिपाया है, अथवा

(C) वाद या आवेदन भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है, अथवा

Lawspark Institute

(D) वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज उससे कपटपूर्वक छिपाया गया है। वहां परिसीमा काल का चलना प्रारम्भ होगा -

(i) जब वादी या आवेदक को उस भूल का पता चले या सम्यक् तत्परता से पता चल सकता था

(ii) छिपाई गई दस्तावेज के पेश करने या उसका पेश किया जाना विवश करने के साधन वादी या आवेदक को प्रथम बार प्राप्त हुए ।

97. जहां कि निर्णीत ऋणी ने परिसीमा काल के दौरान किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया हो तो वहां यदि निर्णीत लेनदार परिसीमा काल समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर कपट का पता लगने या बल प्रयोग बंद होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करे तो न्यायालय ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की परिसीमा काल को बढ़ा सकता है।

98. लिखित अभिस्वीकृति का परिसीमा काल पर पड़ने वाले प्रभाव धारा 18 में वर्णित हैं।

Lawspark Institute

99. सम्पत्ति या अधिकार के वाद या आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले निम्न में से किसी के द्वारा लिखित अभिस्वीकृति की जाय तो एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाता है

(A) उस पक्षकार द्वारा, जिसके विरुद्ध ऐसी सम्पत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या

(B) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व उत्पन्न करता है।

100. यदि ऐसी लिखित अभिस्वीकृति बिना तारीख की है, वहां उस समय के बारे में जब उसे हस्ताक्षरित किया गया था, मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा।

101. ऐसी अभिस्वीकृति के लेख में अन्तर्विष्ट अन्तर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा।

102. इस धारा के तहत् डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए दिया गया आवेदन किसी सम्पत्ति या अधिकार के बाबद् दिया गया आवेदन नहीं समझा जायेगा ।

103. ऐसी अभिस्वीकृति स्वयं या अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो सकती है।

Lawspark Institute

104. धारा 19 में निम्न के संबंध में संदाय किये जाने के परिसीमा काल पर प्रभाव की विवेचना है-

(A) ऋण (B) वसीयत सम्पदा पर ब्याज

105. किसी ऋण या वसीयत सम्पदा पर संदाय के लिए दायी व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा कोई संदाय विहित समय के अवसान के पूर्व ही किया जाता है तो जिस समय संदाय किया गया वहीं से परिसीमा काल संगणित किया जाता है।

106. किसी ऋण या वसीयत की सम्पदा के लेखे में 1-1-1928 के पूर्व ब्याज का संदाय किया गया था, संदाय की अभिस्वीकृति संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में होने पर ही परिसीमा काल में संगणित होगा।

107. जहां बंधकदार के कब्जे में बंधकित भूमि हो, वहां ऐसी भूमि के भाटक या उपज की प्राप्ति संदाय मानी जाएगी।

Lawspark Institute

108. ऋण के अन्तर्गत न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन संदेय धन नहीं आता है। 111. धारा 20 में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय के प्रभाव के संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

109. प्राधिकृत अभिकर्ता के अन्तर्गत निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्ददार या प्रबंधक या अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने वाला अथवा संरक्षक या प्रबंधक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता आता है।

110. धारा 21 में वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने के प्रभाव की विवेचना की गयी है। ऐसी स्थिति में - -

(A) ऐसे जोड़े गये पक्षकार के संबंध में वाद संस्थित तब माना जायेगा जबकि ऐसा पक्षकार बनाया गया ।

(B) न्यायालय का समाधान करवा दिया जाये कि नए वादी या प्रतिवादी को अन्तर्विष्ट करने में लोप सद्भावनापूर्वक की गई भूल से हुआ या तो वहां ऐसा निदेश दे सकेगा कि नए वादी या प्रतिवादी के संबंध में वाद किसी पूर्ववर्ती तारीख से संस्थित किया समझा जाएगा

Lawspark Institute

111. धारा 21 का प्रभाव उन मामलों में लागू नहीं होता है, जिसमें वाद के लम्बित रहने के दौरान हुए किसी हित के समनुदेशन या न्यायगमन के कारण कोई पक्षकार जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाए या जिसमें वादी को प्रतिवादी या प्रतिवादी को वादी बनाया जाए।

112. धारा 22 चालू रहने वाले संविदा भंग और अपकृत्य के संबंध में प्रावधान करती है।

113. संविदा भंग और चालू रहने वाले अपकृत्य की दशा में एक नया परिसीमा काल उनके चालू रहने के दौरान प्रतिक्षण चलना आरम्भ होता रहता है।

114. धारा 23 के अनुसार- ऐसे वाद जिसमें कोई वाद हेतुक तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक कि कोई विनिर्दिष्ट क्षति वस्तुतः नहीं होती, तो परिसीमा काल उस समय से संगणित किया जाएगा जब वह क्षति हो जाए।118. धारा 24 के अनुसार सब लिखतें इस अधिनियम में प्रयोजनों के लिए ग्रिगोरियन केलेण्डर को निर्दिष्ट करके लिखी समझी जाएगी।

Lawspark Institute

115. भाग 4 कब्जे द्वारा स्वामित्व के अर्जन के संबंध में प्रावधान करता है । 120. धारा 25 (i) सुखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन का प्रावधान करती है।

116. इस धारा में निम्नांकित का साधिकार किसी विध्न के बिना 20 वर्षों तक शांतिपूर्वक उपभोग करने पर अधिकार को आत्यन्तिक अजेय माना गया है. -

(A) किसी निर्माण का उपयोग

(B) ऐसे निर्माण में या उसके लिए प्रकाश या वायु प्रवेश और उपयोग या उपभोग,

(C) किसी मार्ग का या जलसरणी का या किसी जल के उपयोग का अथवा किसी अन्य सुखाचार का, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक उपभोग ।

117. धारा 25 (ii) के अनुसार बीस वर्ष की उक्त कालावधियों में से हर एक ऐसी कालावधि मानी जाएगी जिसका अन्त उस वाद के संस्थित किए जाने के अव्यवहित पूर्व के 2 वर्ष की भीतर हुआ हो, जिसमें वह दावा जिससे ऐसी कालावधि सम्बन्धित है, प्रतिपादित किया जाता है।

Lawspark Institute

118. अगर सम्पत्ति सरकार की है तो बीस वर्ष की अवधि को ऐसे पढ़ा जायेगा मानो उसकी जगह तीस वर्ष की कालावधि प्रतिस्थापित कर दी गई हो।

119. इस धारा के अधीन कोई बात विघ्न नहीं है -

(i) जबकि दावेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा हुई बाधा के कारण उस कब्जे के उपभोग का वास्तविक विच्छेद नहीं हो जाता है।

(ii) उस बाधा की तथा बाधा डालने वाले या बाधा डाला जाना प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की सूचना दावेदार को हो जाने के पश्चात् एक वर्ष तक वह बाधा सहन न कर ली गई हो या उसके प्रति उपमति न रही हो।

120. धारा 26 अनुसेवी सम्पत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन के संबंध में प्रावधान करती है।

121. वी. लक्ष्मी नरसम्मा बनाम ये. यादैयाह (2009) के वाद में अवधारित किया गया कि धारा 27 भूमि के स्वामी के हक की समाप्ति एवं उसको ऐसे व्यक्ति में निहित करने के लिए प्रावधान करती है जिससे उसे प्रतिकूल कब्जे द्वारा अर्जित किया हो।

Lawspark Institute

122. धारा 129 व्यावृत्तियों से सम्बन्धित है। इस अधिनियम की कोई बात -

(A) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(B) यदि किसी स्थानीय या विशेष विधि द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए भिन्न परिसीमा काल का उपबंध करती हो तो वो उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह परिसीमा काल अनुसूची द्वारा निहित हो।

(C) विवाह और विवाह-विच्छेद विषयक किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन के किसी वाद या अन्य कार्यवाही को लागू नहीं होगी, किन्तु उस विधि में अन्यथा उपबंधित हो तो लागू होंगे।

(D) जिन राज्यक्षेत्रों में भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का विस्तार है वहां धारा 25, 26 एवं 2 में की सुखाचार की परिभाषा का विस्तार नहीं होगा।

Lawspark Institute

123. कोई वाद जिसके लिए परिसीमा काल इण्डियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित परिसीमा काल से कम है, वहां!

Lawspark Institute